राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी–श्री सुखाराम पिण्डेल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या– 51/2022
जी0सी0एम0एस0 संख्या– 2022/76
दायर दिनांक– 21.06.2022
निर्णय दिनांक– 12.04.2023

उनवानी :–

1. लक्ष्मण उफ लच्छा पुत्र स्व0 रोडू
2. रामेश्वरी पुत्री स्व0 रोडू
3. आखरया उर्फ कायली पुत्री स्व0 रोडू
4. कोयली देवी पुत्री स्व0 रोडू
5. रतनी देवी पुत्री स्व0 भंवरा उर्फ भंवरलाल
6. कालूराम पुत्र स्व0 भंवरा उर्फ भंवरलाल
7. नारूराम पुत्र स्व0 भंवरा उर्फ भंवरलाल
8. सुप्यार पुत्री स्व0 भंवरा उर्फ भंवरलाल
9. नाबालिग रणदीप पुत्र स्व0 भंवरा उर्फ भंवरलाल
10. नाबालिग मंगली पुत्री स्व0 भंवरा उर्फ भंवरलाल

    वादी संख्या 9 व 10 संरक्षक जरिये प्राकृतिक माता रतनी देवी स्व0 भंवरा उर्फ भंवरलाल

11. कालूराम पुत्र स्व0 कमला पुत्री स्व0 रोडू
12. लाली पुत्री स्व0 रोडू कमला पुत्री स्व0 रोड
13. लाली देवी पत्नि स्व0 प्रेमाराम उर्फ प्रेमचन्द
14. नाबालिग पूजा पुत्री स्व0 प्रेमाराम उर्फ प्रेमचन्द
15. नाबालिग पिंकी पुत्री स्व0 प्रेमाराम उर्फ प्रेमचन्द
16. नाबालिग गुन्जन पुत्री स्व0 प्रेमाराम उर्फ प्रेमचन्द
17. नाबालिग आरती पुत्र स्व0 प्रेमाराम उर्फ प्रेमचन्द
18. नाबालिग महिपाल पुत्र स्व0 प्रेमाराम उर्फ प्रेमचन्द

वादी संख्या 14 लगायत 18 संरक्षक प्राकृतिक माता लाली देवी पत्नि स्व0 प्रेमाराम उर्फ प्रेमचन्द सर्वजाति बलाई, सर्वनिवासी ग्राम सिणगारा तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर

.....वादीगण

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ़

....प्रतिवादी

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– 1. श्री [illegible] किशोर तिवाड़ी अधि0 वादीगण
2. [illegible] सरकार तहसीलदार रूपनगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2023.08.24 13:38:20 IST
Reason: Self Attested

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य [illegible] प्रकार है कि वादीगण के पूर्वज पिता/ससूर/दादा/नाना/पड़नाना रोडू [illegible] के कब्जे काश्त एवं एकल [illegible] की कृषि आराजी ग्राम सिणगारा पटवार हल्का सींगला भू0अ0नि0 क्षेत्र थल तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर में स्थित है जिसके ख0न0 460, 461 रकबा 3.7942 है0 कुल खसरा 2 का कुल रकबा 4.7245 हैक्टेयर है। उक्त सम्पूर्ण भूमि वादीगण के पूर्वज रोडू दत्तक पुत्र कज्जा के नाम सम्पूर्ण एकल खातेदारी में दर्ज है।

12.4.23
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

वादीगण के पूर्वज रोडू दत्तक पुत्र कज्जा का स्वर्गवास दिनांक 30.01.2011 को हो चुका है तथा रोडू की पत्नि बिरदी का स्वर्गवास हो चुका है तथा रोडू के पुत्र भंवरा उर्फ भंवरलाल का स्वर्गवास हो चुका है तथा रोडू की पुत्री कमला का स्वर्गवास हो चुका है तथा. रोडू की पुत्री कमला का पुत्र प्रेमाराम उर्फ प्रेमचन्द का स्वर्गवास हो चुका है तथा कमला के पुत्र चुन्नीलाल अविवाहित फोत हो चुका है उक्त मृतको के स्वर्गवास के पश्चात उनके वारिसान का सज़रा का तस्दीक शपथ पत्र इस वाद पत्र के साथ संलग्न है जो इस वाद पत्र का एक अभिन्न अंग माना जाकर इसके साथ पढ़ा जावें। वादीगण के पूर्वज रोडू दत्तक पुत्र कज्जा की उक्त खातेदारी की होकर वादीगण की पैतृक कृषि आराजी होने के कारण उक्त आराजी में वादीगण के हित अधिकार स्वत्व निहित होने से अधिकारों के सृजन के लिए वाद पेश किया जा रहा है। चूंकि वादीगण के पूर्वज रोडू दत्तक पुत्र कज्जा की वर्णित खातेदारी की कृषि आराजी है जिसमें हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत वादीगण विधिक वारिस होने से अधिकार अभिलेख में वर्णित आराजी में हित अधिकार स्वत्व निर्धारित है। वाद वर्णित आराजी में वादी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा, वादी संख्या 2 का 1/6, वादी संख्या 3 का 1/6 हिस्सा, वादी संख्या 4 का 1/6 हिस्सा, वादी संख्या 5 लगायत 10 का संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा वादी संख्या 11 का 1/18 हिस्सा वादी संख्या 12 का 1/18 हिस्सा, वादी संख्या 13 लगायत 18 का संयुक्त रूप से 1/18 हिस्सा अधिकार अभिलेख में पैतृक विरासत में हिस्सा निहित है। उक्त हिस्सा की आराजी पर वादीगण काबिज काश्त है एवं अपने हिस्से पर फसल काश्त करते चले आ रहे है। वाद वर्णित आराजी पैतृक कृषि आराजी होने से वादीगण अपना उक्त निहित हिस्सा प्राप्त करने के विधिक अधिकारी है। उक्त आराजी पैतृक व विरासत से प्राप्त सम्पत्ति होने से वादीगण खातेदारी उद्घोषणा की डिक्री प्राप्त करने हेतु माननीय न्यायालय में वादीगण द्वारा सद्भाविक रूप से वाद पेश किया जा रहा है। वाद वर्णित कृषि भूमि वादीगण की पैतृक व पुश्तैनी विरासत में प्राप्त भूमि होने के कारण एवं वादीगण मृतक रोडू दत्तक पुत्र कज्जा के विधिक वारिसान होने के कारण उक्त वाद वर्णित कृषि भूमिमें विधिक अधिकार प्राप्त है तथा उक्त प्रकार से उक्त भूमि में वादीगण अपने निहित की खातेदारी अधिकारो की घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी है एवं राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादीगण के पूर्वज मृतक रोडू दत्तक पुत्र कज्जा के स्थान पर नामान्तरकरण दर्ज करवाने के अधिकारी है। वादीगण के पूर्वज रोडू के प्राकृतिक पिता बन्ना है तथा रोडू के दत्तक पिता कज्जा है तथा वादीगण के पूर्व जरोडू की मृत्यु होने पर उसाका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया गया था उक्त मृत्यु प्रमाण पत्र में रोडू दत्तक पिता कज्जा के स्थान पर सहवन से रोडू प्राकृतिक पुत्र बन्ना अंकित करवा दिया था। उक्त मृत्यु प्रमाण के आधार मृतक रोडू की विरासत वादीगण के नाम दर्ज करवाने हेतु तहसीलदा रूपनगढ़ को दिनांक 06.04.2022 को प्रार्थना पत्र पेश किया गया लेकिन उन्होने दस्तावेज देख कर कहा कि मृतक खातेदार रोडू दत्तक पुत्र कज्जा के मृत्यु प्रमाण पत्र में रोडू पुत्र बन्ना दर्ज है इसलिए विरासत का नामान्तकरण दर्ज नहीं हो सकता है। सक्षम न्यायालय का आदेश होने पर ही विरासत का नामान्तरण दर्ज किया जा सकेगा तब से वाद कारण जारी है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ की तलबी जरिये सम्मन की गयी। प्रकरण में प्रतिवादी पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ की ओर से जवाब पेश किया गया। प्राप्त जवाब अनुसार ग्राम [illegible] की [illegible] सम्वत् 2070–73 जमाबन्दी वर्ष 2075 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 260 के ख0[illegible] 460 [illegible]कबा 0.9303 है0 तथा ख0न0 461 रकबा 3.7942 है0 रोडू दत्तक पुत्र कज्जा हिस्सा [illegible] सा0 देह [illegible]दार के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रकरण में किसी तरह का कोई राजहित प्रभावित नहीं होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pingol
Date: 2023.08.24 13:38:20 IST
Reason: SelfAttested

12.4.23

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

हमने वकील वादीगण व पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ की बहस सुनी। वकील वादीगण ने अपनी बहस में निवेदन किया कि मृतक खातेदार के स्थान पर सजरा प्रमाण–पत्र अनुसार वादीगण के राजस्व रिकार्ड में नामान्तरकरण दर्ज करवाने की कृपा करावें। मृतक खातेदार रोडू दत्तक पुत्र कज्जा के मृत्यु प्रमाण–पत्र में रोडू पुत्र बन्ना है तथा रोडू के दत्तक पिता कज्जा है। अतः हिस्से अनुसार वादीगण को विधिक हिस्से की खातेदारी की घोषणात्मक डिक्री जारी कर मृतक खातेदार रोडू दत्तक पुत्र कज्जा के स्थान पर वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में नामान्तरकरण दर्ज किया जावे। पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ ने अपने जवाब दावा को ही बहस माने जाने हेतु निवेदन किया। चूंकि उक्त प्रकरण वारिसान की जांच कर नामान्तरकरण की कार्यवाही करने से संबंधित है, जो इस न्यायालय स्तर से किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। विरासत नामान्तरकरण संबंधी कार्यवाही हेतु वादीगण सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त किये जाने हेतु स्वतंत्र है। हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज का अध्ययन किया। उभयपक्ष बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज के आधार पर वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 12.04.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

12.04.23

सुखाराम पिण्डेल
(आर.ए.एस.)
न्यायालय सहायक
कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2023.08.24 13:38:20 IST
Reason: SelfAttested

<u>अंतिम–डिक्री</u>

आर्डर 20, रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी

<u>अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम रूपनगढ़ (अजमेर)</u>

व इजलास–श्री सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 51/2022

1. लक्ष्मण उफ लच्छा पुत्र स्व0 रोडू
2. रामेश्वरी पुत्री स्व0 रोडू
3. आखरया उर्फ कायली पुत्री स्व0 रोडू
4. कोयली देवी पुत्री स्व0 रोडू
5. रतनी देवी पुत्री स्व0 भंवरा उर्फ भंवरलाल
6. कालूराम पुत्र स्व0 भंवरा उर्फ भंवरलाल
7. नारूराम पुत्र स्व0 भंवरा उर्फ भंवरलाल
8. सुप्यार पुत्री स्व0 भंवरा उर्फ भंवरलाल
9. नाबालिग रणदीप पुत्र स्व0 भंवरा उर्फ भंवरलाल
10. नाबालिग मंगली पुत्री स्व0 भंवरा उर्फ भंवरलाल

    वादी संख्या 9 व 10 संरक्षक जरिये प्राकृतिक माता रतनी देवी स्व0 भंवरा उर्फ भंवरलाल
11. कालूराम पुत्र स्व0 कमला पुत्री स्व0 रोडू
12. लाली पुत्री स्व0 रोडू कमला पुत्री स्व0 रोड
13. लाली देवी पत्नि स्व0 प्रेमाराम उर्फ प्रेमचन्द
14. नाबालिग पूजा पुत्री स्व0 प्रेमाराम उर्फ प्रेमचन्द
15. नाबालिग पिंकी पुत्री स्व0 प्रेमाराम उर्फ प्रेमचन्द
16. नाबालिग गुन्जन पुत्री स्व0 प्रेमाराम उर्फ प्रेमचन्द
17. नाबालिग आरती पुत्र स्व0 प्रेमाराम उर्फ प्रेमचन्द
18. नाबालिग महिपाल पुत्र स्व0 प्रेमाराम उर्फ प्रेमचन्द

    वादी संख्या 14 लगायत 18 संरक्षक प्राकृतिक माता लाली देवी पत्नि स्व0 प्रेमाराम उर्फ प्रेमचन्द सर्वजाति बलाई, सर्वनिवासी ग्राम सिणगारा तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर

.....वादीगण

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ़

....प्रतिवादी

<u>वाद पत्र अन्तर्गत धारा–88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

यह मुकदमा आज जरिये इजलास कतई रू–ब–रू श्री सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस. व हाजरी वादीगण मिनजानिब मुद्दई व प्रतिवादी मिनजानिब मुद्दयलाह पेश होकर अंतिम–डिक्री किया जाता है कि वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा–88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है।

Signature Not Verified

असप्त मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से आज दिनांक ...4.2023 को जारी की गई।

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2023.08.24 13:38:20 IST
Reason: SelfAttested

Sd/- 12.4.23

सुखाराम पिण्डेल

(आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी

सहायक कलक्टर एवं रूपनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी

रूपनगढ (अजमेर)